(3D)

(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2543-दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 23-06-2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 433/अपील/2013-14.

शारदा प्रसाद तिवारी तनय श्री जानकी प्रसाद तिवारी
निवासी- ग्राम अमिलिया थाना/तहसील मेहर जिला सतना म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

आशा देवी पुत्री जगन्नाथ पाण्डेय
पत्नी विजय कुमार श्रीवास्तव
निवासी- ग्राम अरकण्डी मेहर जिला सतना म0प्र0

.....अनावेदक

श्री अशोक सिंह, अधिवक्ता, आवेदक
श्री राजेन्द पाण्डेय, अधिवक्ता, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 04/02/2019 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा पारित दिनांक 23-06-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि आवेदक ने तहसीलदार, तहसील मैहर जिला सतना के रा.प्र. क्रमांक 196/अ-74/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 03-07-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (1) के तहत अपील अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मैहर जिला सतना के न्यायालय में पेश किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 21-04-2014 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की। इस के विरूद्ध यह अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तत की गई। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण क्रमांक 433/अपील/2013-14 दर्ज कर दिनांक 23-06-14 को आदेश पारित कर अपील

समाप्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी करने में त्रुटि की है कि अपर न्यायाधीश मैहर जिला सतना के व्यहवार वाद क्रमांक 4अ/2006 में पारित आदेश दिनांक 31-10-08 में आशा देवी पक्षकार नहीं थी। अनावेदिका आशा देवी के पक्ष में कोई डिक्री पारित नहीं हुई है। आवेदिका शारदा प्रसाद तिवारी के नाम पूर्व में विक्रय पत्र के आधार पर भूमि थी। तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश को आधार पर मानकर अनावेदिका का नाम भूमि दर्ज करने का जो आदेश दिनांक 03-7-13 को पारित किया है उसे उचित नहीं कहा जा सकता। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर बिना विचार किये जो आदेश पारित किया है उसे भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त ने अपील पर गुण-दोष पर आदेश पारित न कर ग्राह्यता के बिन्दु पर समाप्त करने में त्रुटि की है। दर्शित परिस्थतियों में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा व्यवहार के आदेश की अनदेखी कर गलत निष्कर्ष निकाले हैं जिन्हें वैधानिक नहीं कहा जा सकता।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार तहसील मैहर जिला सतना को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि मूल भूमिस्वामी से भूमि कैसे-कैसे परिवर्तित हुई और डिक्री आशा के पक्ष में नहीं थी इस संबंध में जांच कर तहसीलदार सभी पक्षों को सुनकर तथ्य तथा रिकार्ड के आधार पर विधि अनुसार आदेश पारित करें।

04/02/19

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर